सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **190/2015** दायर दिनाँक **07.10.2015**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. उमाराम दत्तकपुत्र लिछमणराम, उम्र–43साल, **2.** धापू पत्नी हनुमान, उम्र–60साल, **3.** मुकना पुत्र हनुमान, उम्र–36साल, **4.** परमा पुत्र हनुमान, उम्र–27साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–भदलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	**1.** मांगूराम पुत्र कानाराम, **2.** पीथाराम पुत्र कानाराम, **3.** बोदूराम पुत्र कानाराम, **4.** चुँकीदेवी पत्नी जीमनाराम, **5.** गणपतराम पुत्र जीमनाराम, **6.** मन्जू पुत्री जीमनाराम, **7.** अन्जू पुत्री जीमनाराम, **8.** सन्जू पुत्री जीमनाराम, **9.** बालू पुत्र सुखाराम, **10.** सिणगारी पत्नी दुलाराम, **11.** मानकीदेवी पत्नी पूसाराम, **12.** सुन्दरदेवी पत्नी परसाराम, **13.** बरजी पत्नी तिलोकाराम, **14.** रामेश्वर पुत्र तिलोकाराम, **15.** लच्छाराम पुत्र तिलोकाराम, **16.** सुगनी पुत्री तिलोकाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–भदलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा
बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. प्रतिवादी संख्या 09 उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **18.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद भदलिया में खसरा नम्बर 252 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 253 रकबा 46.16 बीघा भूमि अवस्थित है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद भदलिया में खसरा नम्बर 252 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 253 रकबा 46.16 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के बीच बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टवारा किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 09 उपस्थित व शेष पक्षकारान बावजूद तामिलगी के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी ग्राम भदलिया सम्वत् 2065–68 खेवट संख्या 73/65 की छायाप्रति, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**भदलिया** में पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 09 उपस्थित। पक्षकार को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 09, वाद डिक्री किया जाने में सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकार के निवेदन व इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, वाद वादी स्वीकार किया जाना सामने आया है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है और मजमे आम में उपस्थित पक्षकार वाद में अपनी सहमति देते है, ऐसी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 190/2015
दायर दिनाँक 07.10.2015, निर्णय दिनाँक 18.06.2018
उमाराम, वगैरा बनाम् मांगूराम, वगैरा।

स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाना, न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

—:: **आदेश** ::—

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **भदलिया** में वादग्रस्त खसरा नम्बरान् 252 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 253 रकबा 46.16 बीघा भूमियों के नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक रास्ता की भूमि मार्क एक्स से वाई तक में से होकर आने–जाने में वादी को रोका नहीं जावे इस बाबत् जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–भदलिया

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय, आज दिनाँक 18.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–भदलिया

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 190/2015 दायर दिनाँक 07.10.2015

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. उमाराम दत्तकपुत्र लिछमणराम, उम्र–43साल, 2. धापू पत्नी हनुमान, उम्र–60साल, 3. मुकना पुत्र हनुमान, उम्र–36साल, 4. परमा पुत्र हनुमान, उम्र–27साल, समस्त,जाति–जाट, निवासी–भदलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. मांगूराम पुत्र कानाराम, 2. पीथाराम पुत्र कानाराम, 3. बोदूराम पुत्र कानाराम, 4. चुँकीदेवी पत्नी जीमनाराम, 5. गणपतराम पुत्र जीमनाराम, 6. मन्जू पुत्री जीमनाराम, 7. अन्जू पुत्री जीमनाराम, 8. सन्जू पुत्री जीमनाराम, 9. बालू पुत्र सुखाराम, 10. सिणगारी पत्नी दुलाराम, 11. मानकीदेवी पत्नी पूसाराम, 12. सुन्दरदेवी पत्नी परसाराम, 13. बरजी पत्नी तिलोकाराम, 14. रामेश्वर पुत्र तिलोकाराम, 15. लच्छाराम पुत्र तिलोकाराम, 16. सुगनी पुत्री तिलोकाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–भदलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा
बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **18.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित प्रतिवादी संख्या** 09 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **भदलिया** में वादग्रस्त खसरा नम्बरान् 252 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 253 रकबा 46.16 बीघा भूमियों के नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक रास्ता की भूमि मार्क एक्स से वाई तक में से होकर आने–जाने में वादी को रोका नहीं जावे इस बाबत् जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत.............
.......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **18.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–भदलिया

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–भदलिया

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner